



हिल (इंडिया) लिमिटेड

प्रधान कार्यालय
नई दिल्ली

सं०सं० ई. IV.39

दिनांक: 19.06.2018

कार्यालय आदेश सं० अधिसूचना 57/2018-19

विषय:- वाहन/पहिरवहन भत्ते के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति योजना ।

कंपनी के कार्यालय आदेश सं० ई. IV.39 दिनांक 09.12.2016 आंशिक संशोधन में, एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी के यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता नियमों के अनुसार कार्यालय के कार्य के लिए वाहन की प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय वाहन से अभिप्रेत है कि 8 कि.मी. अर्थात् 8 कि.मी. से अधिक यात्रा पर कार्मिक दावा करने के हकदार होंगे ।

कार्यालय आदेश सं० ई. IV.39 दिनांक 09.12.2016 के अन्य प्रावधान वही रहेंगे । यह 09.12.2016 को इस विषय पर जारी किए गए आदेशों का अधिक्रमण करेगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(पी.सी. सिंह)

महाप्रबन्धक (मा. सं. एवं प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
2. निदेशक (विपणन/ वित्त) का कार्यालय
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. यूनिट प्रमुख - (रसायनी/उद्योगमंडल/बठिंडा)/क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय
5. प्रधान कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
6. सूचना पट्ट